

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 456 / 2009
संस्थान दिनांक 30.11.2009

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. रमेश पिता गरमक बंजारा, आयु 58 वर्ष,
 2. दिनेश पिता गरमक बंजारा, आयु 42 वर्ष,
 3. विजय पिता दिनेश वर्मा, आयु 25 वर्ष,
 4. राजू पिता दिनेश वर्मा, आयु 20 वर्ष,
 5. सुनील पिता रमेश वर्मा, आयु 25 वर्ष,
 6. बावलीबाई पति रमेश वर्मा, आयु 45 वर्ष,
 7. अनिल पिता रमेश वर्मा, आयु 28 वर्ष,
 8. समोतीबाई पति दिनेश, आयु 40 वर्ष,
- सभी निवासीगण- ग्राम लखनगॉव,
थाना अंजड़, जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 18.04.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 199 / 2009 अंतर्गत 452, 323, 506, 427 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 30.11.2009 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 18.11.2009 को समय प्रातः लगभग 7:00 बजे, ग्राम लखनगॉव में फरियादी सुगनाबाई के मकान में उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित करने, अभियुक्तगण ने फरियादी व उसके पति सुरेश व पुत्री लता को उपहति कारित करने का सामान्य के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने सुगनाबाई एवं लता के साथ मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित करने, फरियादी के मकान में रखा सामान टेबल पंखा, छत पंखा, बर्तन, पलंग को तोड़-फोड़ कर फरियादी को 20000/- रुपये का नुकसान साशय कारित कर रिष्टि कारित करने तथा फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 452, 323, 323/34 (सात बार), 427, 427/34 (सात बार), 506 भाग-दो भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि फरियादीगण एवं अभियुक्तगण आपस में रिश्तेदार हैं तथा पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रकरण की फरियादिया सुगनाबाई तथा आहत सुरेश एवं लता के विरुद्ध अभियुक्त दिनेश ने इसी घटना के समय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसका काउन्टर प्रकरण क्रमांक 432/09 इसी न्यायालय में लंबित है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 18.11.2009 को प्रातः 7:00 बजे अभियुक्तगण फरियादी सुगनाबाई के घर में घुसकर उसे कहा कि सुगनाबाई ने उनकी रिपोर्ट थाने पर क्यों की इस बात पर सुगनाबाई उसके पति एवं पुत्री के साथ मारपीट करने लगे तथा घर में रखा सामान भी तोड़-फोड़ कर दिया। उसने जैसे-तैसे अपना बीच-बचाव किया नहीं तो अभियुक्तगण उन्हें जान से मार डालते। मोहल्ले के व्यक्तियों ने बीच-बचाव किया। अभियुक्तों के उक्त कार्य से फरियादीगण को जान से खत्म करने का भय हुआ। इसलिए सुगनाबाई ने इस घटना की लेखी रिपोर्ट थाना अंजड़ पर प्रदर्शनी 1 की पेश की, जिसके आधार पर थाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 199/2009 अंतर्गत धारा 452, 323, 506, 427 सहपठित धारा 34 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शनी 3 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 452, 323, 323/34 (सात बार), 427, 427/34 (सात बार), 506 भाग-दो भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं —

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 18.11.2009 को समय प्रातः लगभग 7:00 बजे, ग्राम लखनगौव में फरियादी सुगनाबाई के मकान में उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी व उसके पति सुरेश व पुत्री लता को उपहति कारित करने का सामान्य के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने सुगनाबाई व लता के साथ मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के मकान में रखा सामान टेबल पंखा, छत पंखा, बर्तन, पलंग को तोड़-फोड़ कर फरियादी को 2000/- रुपये का नुकसान साशय कारित कर रिष्टि कारित की ?
4. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

यदि हॉ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में सुरेश (अ.सा.1), सुगनाबाई (अ.सा.2), साहेबराव (अ.सा.3), उपनिरीक्षक कै.एल. वरकड़े (अ.सा.4), लता (अ.सा.5), डॉ. जे. पी. पंडित (अ.सा.6) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारीय प्रश्न क्रमांक 1 से 4 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त चारों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त चारों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी सुगनाबाई अ.सा.2 का कथन है कि घटना लगभग 3-4 वर्ष पूर्व की है। वह भोपाल से अपनी पुत्री लता के साथ लखनगौंव ससुराल आई थी। प्रातः लगभग 7 बजे अभियुक्तगण अपने-हाथों में लाठियाँ लेकर उनके घर के दरवाजे पर आये। दरवाजे को ठोककर दरवाजा खोलने का कहा था। उसने दरवाजा खोला था, तभी अभियुक्तगण एकदम से घर के अंदर घुसे तथा उसके तथा उसके पति सुरेश व लता के साथ लट्ठ से मारपीट की थी तथा सामान भी तोड़-फोड़ दिया था। इस घटना की रिपोर्ट उसने थाना अंजड़ पर लेखी में की थी। साक्षी ने लेखी रिपोर्ट प्रदर्शपी 2 एवं थाना अंजड़ की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी 3 लिखाना स्वीकार किया। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्तों ने उसके घर के अंदर रखे एक टेबल पंखा तथा छत पंखा तथा पलंग तोड़ दिया था। पुलिस ने उनका ईलाज कराया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह अपने परिवार वालों के साथ भोपाल में निवास करती है। उसके पति सुरेश की नौकरी भोपाल में है। अभियुक्त रमेश उसका जेठ व दिनेश देवर हैं। उनका अभियुक्तों से आपसी बंटवारा आंशिक रूप से हुआ है, पूरा बंटवारा नहीं हुआ है। वे लोग ग्राम लखनगौंव दिनांक 18.11.2009 को आये थे। उस दिन घटना हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि जब अभियुक्तगण आये तब दरवाजा बंद था और अभियुक्त आवाज देकर गाली-गलोच करने लगे।

उसने घटना के बाद थाने पर जाकर रिपोर्ट नहीं की और लिखित रिपोर्ट भी नहीं की थी। साक्षी ने स्वतः कहा कि अभियुक्तों ने उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया था और पुलिस को फोन किया था, बाद में पुलिस आई थी फिर वे लोग पुलिस के साथ थाने गये वहाँ रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों के साथ उन्होंने थप्पड़-मुक्कों से मारपीट की थी और उसका पति और उसकी पुत्री अभियुक्त रमेश के घर गये थे, वहाँ उन्होंने अभियुक्तों को गॉलिया दी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपनी रिपोर्ट में छत पंखा एवं पलंग के नुकसान की बात लिखाई उसने प्रदर्शपी 2 व 3 रिपोर्ट में अभियुक्तों द्वारा दरवाजा ठोकने की बात लिखाई थी, यदि पुलिस ने नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उनका एवं अभियुक्तों का आपस में विवाद होता रहता है। वे जब भी भोपाल से आते हैं, अभियुक्तगण उनसे विवाद करते हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके पति आबकारी विभाग में आरक्षक है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि उसका पति आबकारी विभाग में आरक्षक मे होने से वे लोग अभियुक्तों को हमेशा डराते-धमकाते रहते हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उनकी एवं अभियुक्तों की आमने-सामने मारपीट हुई थी।

8. सुरेश अ.सा. 1 ने भी घटना दिनांक को उसके, उसकी पत्नी एवं पुत्री लता के साथ अभियुक्तों द्वारा घर पर लट्ठ लेकर आकर घर में घुसने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसके, उसकी पत्नी एवं उसकी पुत्री के साथ अभियुक्तों ने मारपीट की थी। घर का पलंग, छत पंखा, टेबल पंखा भी तोड़ दिया था। अभियुक्तों ने उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया था। पुलिस को उन्होंने फोन किया था, तब पुलिस घटनास्थल पर आई थी। अभियुक्तों ने घर में घुसने के बाद उन्हें गंदी-गंदी गॉलिया दी थी तथा जान से खत्म करने की धमकी दी थी। प्रदर्शपी 1 के नुसकानी पंचनामों पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके बताये अनुसार प्रदर्शपी 1 का नुकसानी पंचनामा बनाया था और कुल 2000/- का नुकसानी पुलिस को बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह आबकारी विभाग में कार्यरत है और घटना दिनांक को वह छूट्टी पर आया था। उसका एवं अभियुक्तगण का मकान एवं खेती का विभाजन मौखिक रूप में हो चुका है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 18.11.2009 वह प्रातः अभियुक्त के मकान में फसल के नुकसान की बात करने गया था और उसने तथा उसकी पत्नी एवं पुत्री ने अभियुक्तों को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देकर मारपीट की थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि रमेश एवं दिनेश उनके घर में घुस गये थे, तथा उन्होंने भी उनके साथ मारपीट की थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि रमेश ने उसके, उसकी पत्नी एवं पुत्री के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियुक्तों ने उसकी पत्नी, उसके एवं उसकी पुत्री के साथ विवाद किया था तथा उनको घर में बंद कर दिया था और उसने पुलिस को फोन किया था, तब पुलिस घटनास्थल पर आ गई थी, उसने टेबल

पंखा, छत पंखा एवं पलंग व बर्तन तोड़-फोड़ की बात पुलिस को प्रदर्शपी 2 के कथन में बता दी थी, यदि नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उनका एवं अभियुक्तों का खेती-बाड़ी एवं मकान पर से पूर्व से विवाद चल रहा था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त रमेश के घर गया था और विवाद किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्तों के विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट की है।

9. लता अ.सा. 5 का कथन है कि घटना दिनांक 18.11.2009 ग्राम लखनगॉव में प्रातः 7 बजे की है। वह, उसकी माता व पिता घर पर थे। अभियुक्तगण अचानक उनके घर के अंदर आ गये थे, और उनको मारना शुरू कर दिया था। पहले उसके पिताजी को मारा था, उसने तथा उसकी माता ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो अभियुक्तों ने उनके साथ भी मारपीट की थी। अभियुक्तों ने उनके घर का सामान तोड़-फोड़ कर दिया था तथा पलंग, पंखा तथा छोटा-मोटा सामान भी तोड़ दिया था। अभियुक्तों के मारपीट करने से उसे, उसकी माता तथा पिता को चोंटे आई थी। अभियुक्तों ने उनको घर के अंदर बंद करके बाहर से दरवाजा लगा दिया था और आने-जाने पर जान से मारने की धमकी दी थी, फिर उन्होंने अंदर से पुलिस को फोन लगाया था और पुलिस ने आकार उन्हें छोड़ाया तथा ईलाज के लिए बड़वानी भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तगण और वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। उसके पिता एवं उसके विरुद्ध भी अभियुक्तों ने रिपोर्ट की थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर ही है।

10. साहेबराम अ.सा. 3 ने फरियादी और अभियुक्तों को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि उसके सामने अभियुक्तगण एवं फरियादीगण के मध्य आपस में विवाद हुआ था और पुलिस ने उससे विवाद के संबंध में पूछताछ की थी। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 3 का कथन देने से भी इंकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्तों को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

11. डॉ. जे.पी. पंडित अ.सा. 6 का कथन है कि दिनांक 18.11.2009 को वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अंजड़ में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत लता पिता सुरेश, निवासी ग्राम लखनगॉव को आरक्षक औंकार द्वारा मेडिकल परीक्षण के लिए लाया गया था। उसने लता का मेडिकल परीक्षण करने पर उसे कोई बाहरी चोट नहीं होना पाई थी तथा सीने में दर्द होना पाया था। साक्षी ने आहत सुगनाबाई पति सुरेश, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम लखनगॉव का मेडिकल परीक्षण करने पर 3 x 2 इंच की खरोंच का निशान सख्त अथवा बोथरी वस्तु से आना बताया है तथा उक्त चोट

साधारण प्रकृति की बताई थी। साक्षी ने आहत सुरेश पिता गरमक का मेडिकल परीक्षण करने पर गर्दन में दाहिनी ओर 1 X 1/2 इंच की खरोच सख्त अथवा बोथरी वस्तु से साधारण प्रकृति की होना पाई थी। साक्षी ने मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 13 से 15 तक भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि सुगनाबाई और सुरेश को आई चोंटे पीठ के बल गिरने से आना संभव है।

12. उपनिरीक्षक के.एल.वरकड़े अ.सा 4 ने दिनांक 18.11.2009 को थाना अंजड़ में श्रीमती सुगनाबाई पति सुरेश द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध प्रदर्शपी 2 का लेखी आवेदन पेश करने के आधार पर अपराध क्रमांक 199/2009 अभियुक्तों के विरुद्ध प्रदर्शपी 3 का दर्ज किया था और उसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसी दिनांक को घटनास्थल लखनगॉव पहुँचकर प्रदर्शपी 4 का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादीगण एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। सुरेश की निशांदाही से पलग, टेबल पंखा छत पंखा व बर्तन आदि का नुकसानी पंचनामा रूपये 2000/- का प्रदर्शपी 1 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि सुगनाबाई द्वारा लेखी रिपोर्ट उसे थाने से प्राप्त हुई थी रिपोर्ट किस माध्यम से प्राप्त हुई थी उसकी जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह याद होने से इंकार किया कि सुगनाबाई ने लेखी रिपोर्ट एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन में दरवाजा ठोकने वाली बात लिखाई थी या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया कि सुरेश ने उसे यह बताया था कि अभियुक्तों ने टेबल पंखा, छत पंखा और बर्तन तोड़ दिये थे, उक्त बात पुलिस रिपोर्ट में लिखी है या नहीं वह नहीं बता सकता है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि नुकसानी पंचनामा लखनगॉव में बनाया था और उसके साक्षी रणजीत एवं रणछोड़ बिलवा डेब के निवासी हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि सुरेश आबकारी विभाग में कर्मचारी है तथा वह भोपाल में रहता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने सुरेश के कहने पर अभियुक्तों के विरुद्ध मिथ्या विवेचना की है।

13. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तगण एवं आहतगण निकट रिश्तेदार हैं तथा उनके मध्य जमीन तथा मकान के विभाजन को लेकर पूर्व से विवाद चला आ रहा है तथा इस प्रकरण के फरियादीगण के विरुद्ध भी अभियुक्तों ने इसी घटना दिनांक, और स्थान के संबंध में उनके साथ की गई मारपीट के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसका आपराधिक प्रकरण भी लंबित है। इस प्रकरण में फरियादीगण ने अभियुक्तों को अपने घर पर आना बताया है तथा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 432/2009 में उस प्रकरण के फरियादीगण ने अभियुक्तों को घटना के समय अपने घर पर आना बताया है और घटना का समय दोनों ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक ही है। अभियोजन की

ओर से इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं पेश किया गया कि दोनों घटनास्थल की स्थिति और आपस में दूरी कितनी है। इस प्रकरण में आहत साक्षियों के अतिरिक्त एकमात्र चश्मदीद साक्षी साहेबराम अ.सा. 3 का परीक्षण कराया गया जो कि आपराधिक प्रकरण क्रमांक 432/2009 में भी साक्षी है और उक्त साक्षी ने दोनों ही मामले में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा दोनों ही घटनाएँ होने से इंकार किया है। उपनिरीक्षक के.एल.वरकड़े अ.सा. 4 ने दोनों ही अपराधों में विवेचना की है, लेकिन उक्त साक्षी ने भी अपने कथन में यह स्पष्टीकरण नहीं दिया कि दोनों ही प्रकरणों में किस पक्षकार ने घटना कारित की थी या कौन पक्ष अग्रेसर था। सुगनाबाई अ.सा. 2 तथा सुरेश अ.सा. 1 ने अभियुक्तों द्वारा स्वयं को घर के अंदर बंद करना न्यायालय कथन में बताया है। उनका यह भी कथन है कि उन्होंने पुलिस को फोन किया था, तब पुलिस आई और उनको थाने ले गई, जहाँ उसने लेखी रिपोर्ट की थी, लेकिन के.एल.वरकड़े अ.सा. 4 ने फरियादी एवं साक्षियों द्वारा उसे कोई भी टेलीफोन पर सूचना देने से स्पष्ट इंकार किया है। सुगनाबाई द्वारा लिखाई गई प्रदर्शपी 2 की लेखी रिपोर्ट और उसके न्यायालय के कथनों में विरोधाभास इस बिन्दु पर है कि अभियुक्तों ने उनको घर के अंदर बंद किया था अथवा अभियुक्तगण हाथों में लाठिया लेकर आये थे या नहीं। साक्षी की लेखी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख नहीं है कि उनके घर का कौन-कौन सा सामान और कितने रुपये का तोड़-फोड़ कर नुकसान कारित किया। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह अभिवाक् संभावित प्रतीत होता है कि फरियादीगण ने जमीन और मकान के विभाजन में हुए पूर्व के विवाद को लेकर उनके विरुद्ध यह असत्य रिपोर्ट दर्ज कराई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है और न ही अभियुक्तों के विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया जा सकता है।

14. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित चारों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 452, 323, 323/34 (सात बार), 427, 427/34 (सात बार), 506 भाग-दो भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15. प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

